न्यायालय अपर कलेक्टर, जिला बैतूल (म0प्र0)
:: आदेश ::

कमांक:–18/अ–59/2017–18/12266 बैतूल दिनांक 13/11 /2017

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, ग्राम केदारखेड़ा तहसील आमला के खसरा नंबर 128 रकबा 0.446 हेक्टेयर में से 0.246 हेक्टेयर पर में निवासरत् व्यक्तियो द्वारा, ग्राम सभा में आवेदन पत्र प्रस्तुत किए जाने पर पटवारी हल्का नंबर 16 रा. नि. मं. आमला तहसील आमला जिला बैतूल द्वारा मौका जॉच करके, तहसीलदार आमला के समक्ष इस आशय का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया कि, ग्राम केदारखेड़ा स्थित खसरा नंबर 128 रकबा 0.446 हेक्टेयर में से 0.246 हेक्टेयर भूमि पर लगभग 30–35 वर्षो से 06 परिवार मकान बनाकर निवास कर रहे है एवं आवास का पट्टा चाहते है। ग्राम सभा द्वारा इस भूमि को आबादी घोषित करने का प्रस्ताव पारित किया गया है।

2– हल्का पटवारी के उक्त प्रतिवेदन के आधार पर तहसीलदार आमला द्वारा मद परिवर्तन के लिए विधिवत् प्रकरण दर्ज करके आगामी कार्यवाही करते हुए, अनुविभागीय अधिकारी (रा0) मुलताई के माध्यम से प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है, जिसके अनुसार वस्तुस्थिति निम्नानुसार है:–

(1)– मौजा केदारखेड़ा तहसील आमला स्थित खसरा नंबर 128 रकबा 0.446 हेक्टेयर मद चरनोई में से 0.246 हेक्टेयर भूमि की नोईयत परिवर्तन कर आबादी घोषित किए जाने के संबंध में विधिवत् उद्घोषणा जारी करके आपत्ति आमंत्रित की गई। निर्धारित समयावधि के भीतर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।

(2)– दिनांक 07–6–2017 को आयोजित ग्राम सभा में, सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया जाकर मौजा केदारखेड़ा तहसील आमला स्थित खसरा नंबर 128 रकबा 0.446 हेक्टेयर में से 0. 0.246 हेक्टेयर भूमि को आबादी घोषित करने का निर्णय लिया गया है।

(3)– वर्तमान राजस्व अभिलेख खसरा वर्ष 2016–17 के अनुसार मौजा केदारखेड़ा स्थित खसरा नंबर 128 रकबा 0.446 हेक्टेयर भूमि बेहड़ चरनोई मद में दर्ज है। अधिकार अभिलेख वर्ष 1971–72 के अनुसार उक्त खसरा नंबर घॉस मद में दर्ज है।

(4)– ग्राम केदारखेड़ा का मकबूजा रकबा 208.971 हेक्टेयर है, तथा ग्राम में उपलब्ध चरनोई का रकबा 31.947 हेक्टेयर है। ग्राम के मकबूजा रकबा के 2 प्रतिशत के मान से चरनोई का रक्षित रकबा 4.179 हेक्टेयर उपलब्ध रहना अनिवार्य है। किन्तु वर्तमान में ग्राम में चरनोई का रकबा 31.947 हेक्टेयर उपलब्ध है। प्रस्तावित भूमि का मद परिवर्तन किए जाने के उपरांत भी ग्राम में उपलब्ध चरनोई का रकबा न्यूनतम आरक्षित रकबे से कम नहीं होगा।

(5)– तहसीलदार आमला/अनुविभागीय अधिकारी (रा0) मुलताई द्वारा मौजा केदारखेड़ा तहसील आमला स्थित खसरा नंबर 128 रकबा 0.446 हेक्टेयर मद चरनोई में से 0.246 हेक्टेयर भूमि को आबादी घोषित करने की अनुशंसा की गई है।

3– मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा–237 (3) के अनुसार चारागाह, घॉस, बीड़ या चारे के लिए आरक्षित की भूमि को उस ग्राम की कुल कृषिक भूमि के न्यूनतम दो प्रतिशत तक सुरक्षित रखने के पश्चात् दखल रहित भूमि को आबादी, सड़को, राजमार्गो, नहरो, तालाबो, अस्पतालो, विद्यालयो, महाविद्यालयो, गौशालाओ, के निर्माण या राज्य शासन द्वारा अन्य किसी जन उपयोगी परियोजनाओ के लिए व्यवपर्तित किया जा सकता है। कलेक्टर बैतूल द्वारा जारी कार्य विभाजन आदेश क्रमांक– कमांक 1/2011/अधी./10842, दिनांक 8–11–2016 तथा

(6)

समसंख्यक आदेश क्रमांकः– 2489 दिनांक 25–2–2017 द्वारा मध्यपदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की समस्त धाराओं के प्रकरणों का निराकरण करने के लिए अपर कलेक्टर को अधिकृत किया गया है।

4– अतएव उपरोक्तानुसार वस्तुस्थिति एवं तहसीलदार आमला/अनुविभागीय अधिकारी (रा0) मुलताई के प्रतिवेदन व अभिमत के आधार पर, मौजा केदारखेड़ा तहसील आमला स्थित खसरा नंबर 128 रकबा 0.446 हेक्टेयर मद चरनोई में से 0.246 हेक्टेयर (जिसे नक्शे में लाल स्याही से चिन्हित किया गया है) भूमि को इस शर्त के अधीन आबादी घोषित किया जाता है कि, उक्त भूमि का विधिवत् अभिन्यास स्वीकृत किया जाकर, नियमानुसार पात्रता रखने वाले व्यक्तियो को आवासीय पट्टा प्रदान करने की कार्यवाही की जाएगी।

(मूलचन्द वर्मा)
अपर कलेक्टर
जिला–बैतूल.

पृ0क्र0:–18/अ–59/2017–18/12266 बैतूल दिनांक 13/11/2017

प्रतिलिपिः–

1– अनुविभागीय अधिकारी (रा0) मुलताई ।

2– तहसीलदार आमला ।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। आदेशानुसार अभिलेख में यथा आवश्यक संशोधन करके, संशोधित अभिलेख की प्रति तत्काल प्रस्तुत करें।

3– जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी बैतूल की ओर वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु अग्रेषित।

4– जनसम्पर्क अधिकारी बैतूल की ओर प्रकाशनार्थ अग्रेषित।

5– सचिव ग्राम पंचायत रंभाखेड़ी जनपद पंचायत आमला की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

अपर कलेक्टर
जिला–बैतूल.